

1. गणेशीलाल पुत्र नन्दाराम, जाति अहीर निवासी रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

**उपस्थिति:-**

1. श्री मदनलाल कूडी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से


**निर्णय**

दिनांक: 28.02.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल व जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1265/1 जो खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2024 में अपीलान्ट के पिता नन्दाराम वल्द मोहन बतौर खातेदार काश्तकार रहा है, उसकी मृत्यु उपरान्त विरासत से विधिक जाँच कर विधि सम्मत आदेश पारित कर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया अपनाकर तस्दीक किया गया एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया गया तब से बतौर काबिज काश्तकार खातेदार अपीलान्ट चला आ रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2059 से 2062 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज रही है, उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात माफी मंदिर श्री विदुलजी वाके सामोद के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1265/1 अपीलान्ट के पिता स्व. नन्दाराम पुत्र मोहन जाति अहीर के नाम कब्जे काश्त के आधार पर दर्ज की गई और नन्दाराम की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज रही और उक्त आराजीयात सम्वत् 2008 से 2029 भू-प्रबन्ध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में नन्दाराम पुत्र मोहनलाल के नाम अंकित थी जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज एवं उसके बाद अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसको दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर

**P.T.O.**

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

जाकर न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्त को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2571 दिनांक 02.08.2004 को माफी मंदिर श्री विटुलजी वाके सामोद देव ठिकाना सा. देह के नाम तरदीक कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2571 दिनांक 02.08.2004 के विरुद्ध अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये निवदन किया थ कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरुद्ध तस्दीक किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों और अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्तों व राजस्व रिकार्ड को दरकिनार करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 द्वारा अपीलान्त की अपील को विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया है जो अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2035 व नामान्तरकरण संख्या 2571 जो नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.08.2004 को स्वीकार किया गया व सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्र का अध्ययन व अवलोकन किये बिना ही तथा राज्य सरकार द्वारा परिपत्रों का गलत अवलोकन करते हुये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के आदेश दिनांक 02.08.2004 को यथावत रखा है जो विधि विरुद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 1265/1 की भूमि नन्दाराम पुत्र मोहनलाल के नाम दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू-प्रबन्ध विभाग की खतौनी सम्वत 2011 से 2029 के कॉलाम संख्या 5 में स्पष्ट है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्त के पूर्वज व अपीलान्त माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में माफी के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित नन्दाराम को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिज्मपशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमि उसकी खातेदारी में अंकित की गई परन्तु यहाँ पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्त के पूर्वाधिकारी नन्दाराम का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था तथा अपीलान्त के पूर्वाधिकारी काबिज काश्त खातेदार रहे हैं एवं उनकी मृत्यु उपरान्त निरंतर अपीलान्त काबिज काश्त रहे हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों व परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं उसकी पालना मे स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा जारी

परिपत्र दिनांक 06.01.2010 भी स्पष्ट है किन्तु उक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया जो आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 4-3(2)राज-6/2007 दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट निर्देश है कि गलत ढंग से कृषकों का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिये को दरकिनार कर उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट की खातेदारी की जगह माफी मंदिर दर्ज करके दी जो गलत एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा अपील संख्या 9/2017 बउनवानी गणेशीलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 को खारिज फरमाया जाकर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 2571 दिनांक 02.08.2004 को अपास्त किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का कोई लगान सन् 2004 से जमा नहीं करवाया गया है क्योंकि वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 की प्रतिलिपि अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1265/1 माफी मंदिर श्री विठुलजी वाके सामोद के नाम अंकित है एवं कृषक के खाना नम्बर पाँच में अपीलान्ट के पूर्वज नन्दाराम वल्द मोहनलाल काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा नन्दाराम पुत्र मोहनलाल की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप में प्रदत्त जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र

दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरुस्त की जाए जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो नन्दाराम पुत्र मोहनलाल की खातेदारी में थी तथा उसके बाद नन्दाराम पुत्र मोहनलाल के वारिस अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रही है उसे नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के माफी मंदिर श्री विठुलजी वाके सामोद की खातेदारी में जरिये नामान्तरण संख्या 2571 दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरकरण परिपत्र क्रमांक प.12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने को कोई निर्देश प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नहीं है, वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधिविरुद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 2571 वाके ग्राम रेनवाल पर उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार आदव)  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर।